न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

R 3551-I/16

पुनरीक्षण प्र. क्र.   / /2016

भगवान सिंह पुत्र मेवालाल
जाति–काछी निवासी– त्योदा, तह.
तियोदा जिला विदिशा म.प्र.

...........आवेदक

बनाम

कमल सिंह पुत्र रामप्रसाद जाति–
काछी निवासी– त्योदा, तह.तियोदा
जिला विदिशा म.प्र.

..........अनावेदक

<u>न्यायालय तहसीलदार तहसील त्योदा के प्रकरण क्रमांक 11/अ–70 आदेश दिनांक 30.07.2016 के विरूद्ध म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।</u>

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्नांकित निवेदन है'–

1. यहकि, अनावेदक द्वारा तहसीलदार त्योदा के समक्ष धारा 250 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर से तहसीलदार त्योदा द्वारा प्रकरण क्रमांक 11/अ–70/2015–16 दर्ज किया गया जिसमें आवेदक को उक्त कार्यवाही में नोटिस जारी कर कार्यवाही की जा रही है जबकि आवेदक द्वारा अनावेदक द्वारा किये गये सीमांकन प्रकरण क्रमांक 175/अ–12/2015–16 में पारित आदेश 02.06.20016 एवं 01.06.2015 के विरूद्ध श्रीमान न्यायालय राजस्व मण्डल निगरानी 2538/2016 दिनांक 30.07.2016 को प्रस्तुत कर दी गई है जिसमें दिनांक 01.08.2016 से प्रकरण को ग्रहाय कर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3551-एक/16 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27.3.19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	